From No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मजीद बनाम अब्दुल रहीम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज प्रार्थना पत्र –212 संख्या 126 वर्ष 2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख से जारी हुए
20.05.2019	आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। एकपक्षीय उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 03.07.2019 तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 6/0.48है0 वाके ग्राम चन्दरोंजा तहसील तिजारा जिला अलवर पर आगामी दिनांक 03.07.2019 तक प्रार्थी के हिस्से तक की आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत एवं अन्तरण, बय न करें। क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद **Absolute** कर दिया जावे? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा पी0 रसीद आगामी पेशी तक पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो। उपखण्ड अधिकारी तिजारा(अलवर)	
3-7-19	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली प्रस्तीन उपस्थित पूर्वादेशानुसार वास्ते [illegible] दिनांक 1-10-19 को पेश हो।	

[illegible] पत्रावली [illegible] 2021

[illegible] 2/12/21

[illegible] पेश हो

[illegible]

[illegible] एवं [illegible]

[illegible], तिजारा (अलवर)

07/3/22

अब पत्रावली पेश हुई... प्रार्थी हाजिर

अग्रिम पत्रावली मूल पत्र के साथ दिनांक

[illegible]...को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

17-05

अब पत्रावली पेश हुई प्रार्थी हाजिर

अग्रिम पत्रावली मूल पत्र के साथ दिनांक

03/8/22...को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

03/8/22

अब पत्रावली पेश हुई प्रार्थी हाजिर

अग्रिम पत्रावली मूल पत्र के साथ दिनांक

17/11/22...को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

17-11-22

अब पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी [illegible] अनुपस्थित

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]

उपखण्ड अधिकारी

तिजारा (अलवर) राज.